रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/आश्विन 30, 1908
No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 23-ई. टी. सी. (पी. एन.)/86

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

विषय :—बाजरे, ज्वार और रागी का निर्यात

फा. सं. 40(28)/86-ई 2:—उपर्युक्त विषय पर आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल, 1985—मार्च, 1988 (खण्ड दो) के नीति विवरण की क्रम सं. 20 घ, 20 ङ और 20 च की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान नीति में आंशिक संशोधन करते हुए बाजरे, ज्वार और रागी का निर्यात (1) नेफेड और (2) निजी व्यापार द्वारा अनुमित किया

जाएगा। निजी व्यापार द्वारा निर्यात सीमित सीमा के भीतर 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर किया जाएगा।

3. तद्नुसार, आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल, 1985—मार्च 1988 (खंड दो) के पृष्ठ सं. 15 के कालम 3 में दी गई शर्त के सामने क्रम सं. 20घ, 20ङ और 20च को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) नेफेड द्वारा निर्यात,

(2) निजी व्यापारियों द्वारा सीमित सीमा के अंतर्गत 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर निर्यात।"

4. आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल, 1985—मार्च 1988 (खंड दो) के पृष्ठ 31 पर अनुबंध-1 की क्रम सं. 2, 3 और 4 में दी गई प्रविष्टि हटा दी जाएगी।

राजीव सोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 23-ETC(PN)/86

New Delhi, the 22nd October, 1986

Subject :—Export of Bajra, Jowar and Ragi.

File No. 40(28)/86-EII.—Attention is invited to serial numbers 20D, 20E and 20F of the Policy Statement of Import and Export Policy April 1985—March 1988 (Vol. II) on the above subject.

2. In partial modification of the existing policy, Bajra, Jowar and Ragi will be allowed for export by (i) NAFED, and (ii) Private Trade. Export by Private Trade will be within a limited ceiling on first-come, first-served basis.

3. Accordingly, the condition in Column 3 at page 15 of Import and Export Policy April 1985—March 1988 (Vol. II) against S. No. 20D,, 20E and 20F shall be substituted by the following :—

"(i) Export by NAFED;